

वन भूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य (NPV) का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में पोथिंग से सोभाकुण्ड तक मिसिंग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 3.150 है० वन भूमि प्रभावित होती है। मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाला वन क्षेत्र इकोक्लासेस- 5 (Eco-classes -V) के अन्तर्गत आता है एवं वानस्पतिक घनत्व लगभग प्र.श. 0.3 है। अतः प्रभावित होने वाली वन भूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य (N.P.V.) मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.08 एवं आदेश दिनांक 09.05.08 में निर्धारित प्रक्रिया तथा नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 1456/ 1-42 दिनांक 15.12.2008 में दिये गये निर्देशानुसार रु० 8.45 लाख प्रति हैक्टेयर की दर से रु० 26-61 लाख होता है तथा वार्षिक लीज रेंट 00.000.....प्रतिशत की दर से 00.00.....रु० होता है।


जिला अधिकारी, बागेश्वर


जिला अधिकारी, बागेश्वर


जिला अधिकारी, बागेश्वर
प्रभागीय वन प्रभाग
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर